



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3402]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2018/भाद्र 8, 1940

No. 3402]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2018/BHADRA 8, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

(आय कर)

का. आ. 4211(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (22ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा “प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली” को तीन आकलन वर्षों यथा 2019-2020 से 2021-2022 के लिए उक्त उपवाक्य के प्रयोजन हेतु मात्र समाचार के संकलन और वितरण के लिए भारत में स्थापित एक समाचार एजेंसी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन है कि यह समाचार एजेंसी अपनी आय का और किए गए संकलन का प्रयोग केवल समाचार के संकलन और उसके संवितरण के लिए करेगी और अपनी आय का किसी भी तरीके से अपने सदस्यों में संवितरण नहीं करेगी।

[अधिसूचना सं. 41/2018 (फा.स. 165/4/2017-आईटीए-1)]

विनय शील गौतम, अवर सचिव